

कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 19()/कार्मिक -राज/प्रमुवंस/ 3496-95

दिनांक : 10/8/15

निमित्त,

अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
एवं वन्य मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक, राजस्थान, जयपुर

मुख्य वन संरक्षक,
भस्तपुर/वन्यजीव उदयपुर
विभागीय कार्य जयपुर

विषय :-राज्य सेवा अधिकारियों के अचल सम्पति विवरण 2014 कार्मिक विभाग, की वेब साईट पर अपलोड कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रति वर्ष की शुरुआत में (1 जनवरी की स्थिति अनुसार) अचल सम्पति विवरण करने के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा प्रपत्र दिनांक 08.04.2013, 19.09.2013, 20.11.2013, 12.02.2015 जारी किये गये हैं। उक्त परिपत्र अनुसार जिन राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना सम्पति विवरण प्रस्तुत नहीं किया है, उनकी विजिलेन्स क्लियरेंस नहीं दिये जाने, पदोन्नति पर विचार नहीं किये जाने एवं अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही आगामी वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु भी निर्देश दिये गये थे।

इस संबंध में कार्मिक विभाग ने दिनांक 04.08.2015 को आयोजित बैठक में जिन अधिकारियों द्वारा अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत नहीं किये हैं, को गम्भीरता से लेते हुए इनकी वेतनवृद्धि स्वीकृति बाबत जानकारी चाही गई है।

आपके अधीन निम्न लिखित उप वन संरक्षक (राजस्थान वन सेवा) से अचल सम्पति विवरण 2014 प्राप्त नहीं हुए हैं जिनकी सूची निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	नाम उप वन संरक्षक
1.	श्री धर्मवीर सिंह
2.	श्री जिगनेश शर्मा
3.	श्री कैलाशचन्द्र मीणा
4.	श्री मुकेश सैनी
5.	श्री सुरेश कुमार शर्मा

कृपया स्पष्ट करें कि क्या आपके कार्यालय द्वारा उपरोक्त कर्मचारियों को वर्ष 2014 में अचल सम्पति विवरण प्राप्त न होने पर वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गयी है या नहीं ? इसके अतिरिक्त उपरोक्त अधिकारियों के अचल सम्पति विवरण 2014 तत्काल इस कार्यालय में भिजवाने का श्रम करावें, ताकि कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाया जा सके।

....

भवदीय

Sharma
(शिखा मेहरा)

मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन)
राजस्थान जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 19()/कार्मिक-राज/प्रमुवंस/ 3526-44 दिनांक: 10-8-15.
निमित्त,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोवस्त, राजस्थान जयपुर/ ए.आर.ई.ई. राज. वन. जयपुर
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान, जयपुर! मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर/भरतपुर/उदयपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/जोधपुर
मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव
जयपुर/भरतपुर/उदयपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/जोधपुर
कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, उदयपुर
निदेशक, शुष्क वन अनुसंधान केन्द्र जोधपुर

विषय :-राज्य सेवा अधिकारियों के अचल सम्पति विवरण 2015 कार्मिक विभाग, की वेब साईट पर अपलोड कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रति वर्ष की शुरुआत में (1 जनवरी की स्थितिअनुसार) अचल सम्पति विवरण करने के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा प्रपत्र दिनांक 08.04.2013, 19.09.2013, 20.11.2013, 12.02.2015 जारी किये गये हैं। उक्त परिपत्र अनुसार जिन राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना सम्पति विवरण प्रस्तुत नहीं किया है, उनकी विजिलेन्स क्लीयरेंस नहीं दिये जाने, पदोन्नति पर विचार नहीं किये जाने एवं अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही आगामी वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु भी निर्देश दिये गये थे।

इस संबंध में कार्मिक विभाग ने दिनांक 04.08.2015 को आयोजित बैठक में जिन अधिकारियों द्वारा अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत नहीं किये हैं, को गम्भीरता से लेते हुए इनकी वेतनवृद्धि स्वीकृति बाबत जानकारी चाही गई है।

आपके अधीन निम्न लिखित उप वन संरक्षक (राजस्थान वन सेवा) से अचल सम्पति विवरण 2015 प्राप्त नहीं हुए हैं जिनकी सूची निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	नाम उप वन संरक्षक	क्र०सं०	नाम उप वन संरक्षक
1.	श्री आनन्द स्वरूप अग्निहोत्री	14.	श्री नानग सिंह
2.	श्री आशु सिंह शेखावत	15.	श्री पदम सिंह
3.	श्री भोजराज सिंह राजावत	16.	श्री प्रमोद पाण्डे
4.	श्री धर्मवीर सिंह	17.	श्री राजकुमार जैन
5.	श्री ज्ञान चन्द	18.	श्री राजेन्द्र सिंह चौहान
6.	श्री हनुमान राम	19.	श्री रमेश चौपडा
7.	श्री जय किशन जाट	20.	श्री रंगलाल जाट
8.	श्री जिगनेश शर्मा	21.	श्री संजय प्रकाश भादु
9.	श्री कैलाश चन्द्र मीणा	22.	श्री सेडूराम यादव
10.	श्री कौशल कुमार सक्सेना	23.	श्री सहस्रत्र किरण दान चारण
11.	श्री कुमार स्वामी गुप्ता	24.	श्री सुरेश कुमार शर्मा
12.	श्री एल.एन. बंसल	25.	श्री वीरेन्द्र सिंह जौरा
13.	श्री महेशचन्द गुप्ता		

कृपया स्पष्ट करें कि क्या आपके कार्यालय द्वारा उपरोक्त कर्मचारियों को वर्ष 2015 में अचल सम्पति विवरण प्राप्त न होने पर वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दी गयी है या नहीं? इसके अतिरिक्त उपरोक्त अधिकारियों के अचल सम्पति विवरण 2015 तत्काल इस कार्यालय में भिजवाने का श्रम करावें, ताकि कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाया जा सके।

भवदीय

Shr

(शिखा मेहरा)

मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन)

राजस्थान जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 19()/कार्मिक -राज/प्रमुवस/ 3545-61

दिनांक : 10-8-15

निमित्त,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोवस्त, राजस्थान जयपुर/टी.आर.ई.ई.राज-जयपुर
 अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान, जयपुर
 मुख्य वन संरक्षक,
 जयपुर/भरतपुर/उदयपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/जोधपुर
 मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव
 जयपुर/भरतपुर/उदयपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/जोधपुर

विषय :-राज्य सेवा अधिकारियों के अचल सम्पति विवरण 2015 कार्मिक विभाग, की वेब साईट पर अपलोड कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रति वर्ष की शुरुआत में (1 जनवरी की स्थितिअनुसार) अचल सम्पति विवरण करने के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा प्रपत्र दिनांक 08.04.2013, 19.09.2013, 20.11.2013, 12.02.2015 जारी किये गये हैं। उक्त परिपत्र अनुसार जिन राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना सम्पति विवरण प्रस्तुत नहीं किया है, उनकी विजिलेन्स क्लियरेंस नहीं दिये जाने, पदोन्नति पर विचार नहीं किये जाने एवं अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही आगामी वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु भी निर्देश दिये गये थे।

इस संबंध में कार्मिक विभाग ने दिनांक 04.08.2015 को आयोजित बैठक में जिन अधिकारियों द्वारा अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत नहीं किये हैं, को गम्भीरता से लेते हुए इनकी वेतनवृद्धि स्वीकृति बाबत जानकारी चाही गई है।

आपके अधीन निम्न लिखित सहायक वन संरक्षक (राजस्थान वन सेवा) से अचल सम्पति विवरण 2015 प्राप्त नहीं हुए है जिनकी सूची निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	नाम सहायक वन संरक्षक	क्र०सं०	नाम सहायक वन संरक्षक
1.	श्री अनूप सिंह केडिया	26.	श्री जयराम पाण्डे
2.	श्री भगवान सिंह नाथरावत	27.	श्री कैलाश लाल पुरोहित
3.	श्री भगवान सिंह राठौड़	28.	श्री कैसरी सिंह राठौड़
4.	श्री भगवान सिंह राठौड़	29.	श्री खेमराज शर्मा
5.	श्री भंवर लाल सारण	30.	श्री खुमान सिंह
6.	श्री भवदेव सिंह आशिया	31.	श्री कुल भूषण शर्मा
7.	श्री भंवर सिंह चौहान	32.	श्री मदन सिंह चारण
8.	श्री भीम सिंह सौलंकी	33.	श्री नरेशचन्द्र शर्मा
9.	श्री बृजराज सिंह शेखावत	34.	श्री नरपत सिंह चारण
10.	श्री बृज मोहन गुप्ता	35.	श्री नाथाराम
11.	श्री दलवीर सिंह	36.	श्री नैकीराम जाट
12.	श्री दशरथ सिंह पंवार	37.	श्री ओम प्रकाश कडवासरा
13.	श्री देवेन्द्र कुमार भारद्वाज	38.	श्री राजीव कपूर
14.	श्री देवेन्द्र सिंह भाटी	39.	श्री राजेश सुरीलिया
15.	श्री धर्मपाल सिंह	40.	श्री राकेश कुमार दुलार
16.	श्री फुरकान अली खत्री	41.	श्री रामलाल तान्डी
17.	श्री गंगा सिंह	42.	श्री रणवीर सिंह भण्डारी
18.	श्री गौतम राज मेहता	43.	श्री रवि कुमार शर्मा
19.	श्री गोपाल सिंह चारण	44.	श्री शत्रुघन सिंह चूडावत
20.	श्री गोविन्द सिंह	45.	श्री सुरेन्द्र चौहान
21.	श्री हनुमान सिंह राठौड़	46.	श्री उदय राम
22.	श्री जगदीश प्रसाद दैया	47.	श्री वीर सिंह ओला
23.	श्री जयदीप सिंह राठौड़	48.	श्री विजय प्रकाश
24.	श्री जय सिंह बालावत	49.	श्री विजय पाल सिंह
25.	श्री जयदेव सिंह चारण		

कृपया स्पष्ट करें कि क्या आपके कार्यालय द्वारा उपरोक्त कर्मचारियों को वर्ष 2015 में अचल सम्पति विवरण प्राप्त न होने पर वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गयी है या नहीं ? इसके अतिरिक्त उपरोक्त अधिकारियों के अचल सम्पति विवरण 2015 तत्काल इस कार्यालय में भिजवाने का श्रम करावें, ताकि कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाया जा सके।

भवदीय

श्री
 (शिखा मेहरा)

मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन)
 राजस्थान जयपुर

कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ 19()/कार्मिक -राज/प्रमुवंस/3500-3525 दिनांक : 10-8-15.
निमित्त,

प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोवस्त, राजस्थान जयपुर/टी.आर.ई.ई.राज.जयपुर
अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक राजस्थान, जयपुर
मुख्य वन संरक्षक,
जयपुर/भरतपुर/उदयपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/जोधपुर
मुख्य वन संरक्षक, वन्यजीव
जयपुर/भरतपुर/उदयपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर/जोधपुर
कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, उदयपुर
निदेशक, शुष्क वन अनुसंधान केन्द्र जोधपुर
उप वन संरक्षक,
आर.टी.पी. सवाईमाधौपुर/प्रशिक्षण जयपुर/स्टेज-II बीकानेर/वन्यजीव राजसमन्द/चूरु /मूल्यांकन

विषय :-राज्य सेवा अधिकारियों के अचल सम्पति विवरण 2014 कार्मिक विभाग, की वेब साईट पर अपलोड कराने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजपत्रित अधिकारियों द्वारा प्रति वर्ष की शुरुआत में (1 जनवरी की स्थितिअनुसार) अचल सम्पति विवरण करने के संबंध में कार्मिक विभाग द्वारा प्रपत्र दिनांक 08.04.2013, 19.09.2013, 20.11.2013, 12.02.2015 जारी किये गये हैं। उक्त परिपत्र अनुसार जिन राजपत्रित अधिकारियों द्वारा अपना सम्पति विवरण प्रस्तुत नहीं किया है, उनकी विजिलेन्स क्लियरेंस नहीं दिये जाने, पदोन्नति पर विचार नहीं किये जाने एवं अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही आगामी वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने हेतु भी निर्देश दिये गये थे।

इस संबंध में कार्मिक विभाग ने दिनांक 04.08.2015 को आयोजित बैठक में जिन अधिकारियों द्वारा अचल सम्पति विवरण प्रस्तुत नहीं किये हैं, को गम्भीरता से लेते हुए इनकी वेतनवृद्धि स्वीकृति बाबत जानकारी चाही गई है। आपके अधीन निम्न लिखित सहायक वन संरक्षक (राजस्थान वन सेवा) से अचल सम्पति विवरण 2014 प्राप्त नहीं हुए हैं जिनकी सूची निम्नानुसार है:-

क्र०सं०	नाम सहायक वन संरक्षक
1.	श्री अरूण शर्मा
2.	श्री भवदेव सिंह आशिया
3.	श्री बृजमोहन कल्ला
4.	श्री दिनेश कुमार शर्मा
5.	श्री गजेन्द्र सिंह पंवार
6.	श्री जयदीप सिंह राठौड़
7.	श्री खेमराज शर्मा
8.	श्री कुलभूषण शर्मा
9.	श्री नरपत सिंह चारण
10.	श्री पुष्पेन्द्र सिंह कटेल
11.	श्री रवि कुमार शर्मा
12.	श्री सूरत सिंह पूनिया

कृपया स्पष्ट करें कि क्या आपके कार्यालय द्वारा उपरोक्त कर्मचारियों को वर्ष 2014 में अचल सम्पति विवरण प्राप्त न होने पर वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी गयी है या नहीं? इसके अतिरिक्त उपरोक्त अधिकारियों के अचल सम्पति विवरण 2014 तत्काल इस कार्यालय में भिजवाने का श्रम करावें, ताकि कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करवाया जा सके।

भवदीय

Shm

(शिखा मेहरा)

मुख्य वन संरक्षक (संस्थापन)
राजस्थान जयपुर